

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

(574, साउथ सिविल लाइन्स)

क0 फा0न0 68/स्था0/राविसेप्रा0/ 985-ए / 10

जबलपुर, दिनांक 29 / 10 / 2010

मृत्यु/चौकीदार के 2 (दो) रिक्त पदों पर, संविदा एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर के आधार पर अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिये, पुरुष अभ्यर्थियों की, नियुक्ति की शर्तें

- 01—म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि **18.11.2010** सायं 5.30 बजे तक है। उक्त दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले या निर्धारित शर्तों के विपरीत या अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा और ना ही इस हेतु कोई पत्राचार मान्य किया जावेगा ।
- 02—यह कि उपरोक्त पद पूर्णतः संविदा आधार पर तदर्थ होकर एक वर्ष के लिए है परन्तु वह किसी भी समय बिना कोई कारण बताये समाप्त किया जा सकता है ।
- 03— उपरोक्त पद हेतु कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर प्रतिमाह वेतन देय होगा ।
- 04— अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है ।
- 05— न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड/विद्यालय से पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
- 06— अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1.10.2010 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये आरक्षित वर्ग/महिला अभ्यर्थी को आयु सीमा में मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार शिथिलता
- 07— प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पात्र उम्मीदवार की सूची प्राधिकरण कार्यालय कार्यालय में दिनांक **24.11.2010** को चस्पा कर दी जायेगी, निरस्त किये गये आवेदन पत्रों की सूचना उम्मीदवारों को पृथक से नहीं भेजी जावेगी । किन्तु वह सूची भी चस्पा की जायेगी ।
- 08— पात्र उम्मीदवार सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर दिनांक **4.12.10** को प्रातः 10.30 बजे साक्षात्कार के लिये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, 574 साउथ सिविल लाइन्स जबलपुर में उपस्थित रहे। उक्त संबंध में पृथक से कोई सूचना नहीं भेजी जावेगी ।
- 09— योग्यता के आधार पर सक्षम उम्मीदवार का चयन किया जावेगा ।
- 10— आवेदन पत्र अथवा साक्षात्कार /परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है । एवं साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को कोई यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा ।
- 11— आवेदन पत्र मुद्रित होना चाहिए जिस पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्वप्रमाणित फोटो चस्पा हो तथा प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्वयं द्वारा सत्यापित कर सलंगन की जाये । आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा लिफाफा सलंगन किया जाये ।
- 12— सेवा में कार्यरत उम्मीदवार उचित माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित करें ।
- 13— उम्मीदवार स्पष्ट रूप से अपनी जाति एवं वर्ग का उल्लेख कर प्रमाण पत्र सलंगन करे ।
- 17— चयनित/नियुक्ति अभ्यर्थी को म0प्र0 के किसी भी जिले में पदस्थ किया जा सकता है ।
- 18— खाना बनाने में निपुण एवं अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी ।
- 19— आवेदन का प्रारूप पृष्ठ क्रमांक 2 पर देखे ।

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
574, साउथ सिविल लाइन्स,
जबलपुर (म०प्र०) - 482001

विषय:- संविदा एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर के आधार पर भृत्य/चौकीदार के पद पर एक वर्ष हेतु नियुक्ति के संबंध में आवेदन।

सन्दर्भ:- म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विज्ञप्ति दिनांक.....

पासपोर्ट आकार का
फोटो
बस्य कर स्वयं के द्वारा
सत्यापित करे

- 01- आवेदक का पूरा पता
- 02- पिता/पति का नाम
- 03- वर्तमान निवास का पूर्ण पता
- 04- स्थाई निवास का पूरा
- 05- जाति एवं वर्ग

(स्थाई/अस्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें
अस्थाई प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 8
माह तक वैध होता है अतः वह न केवल वैध हो
बल्कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो)

- 06- जन्मतिथि
- 07- वर्तमान आयु
- 08- शैक्षणिक योग्यता
- 09- अन्य योग्यता/अनुभव

हस्ताक्षर
(आवेदक का पूर्ण नाम)